क्रम-संख्या—198

पी० एस० एस० डब्लू०/एन० डब्लू० 6/०
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 19 जुलाई, 1999

आषाढ़ 28, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1468/सत्रह-वि-1—1(क)22-1999

लखनऊ, 19 जुलाई, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 18 जुलाई, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या 33 सन् 1952 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(एक) खण्ड (क) में,—

(क) शब्द "नियत अधिकारी" के स्थान पर शब्द "नियुक्त प्राधिकारी" रख दिया जायगा,

(ख) शब्द "की पूर्ति करने (सप्लाई)", जहां कहीं भी आवें हों, के स्थान पर शब्द "को सम्भरित करने" रख दिये जायेंगे।

(दो) खण्ड (च) में शब्द "की पूर्ति करने (सप्लाई करने)" के स्थान पर शब्द "के सम्भरण" रख दिए जायेंगे।

(तीन) खण्ड (ज) में शब्द "की पूर्ति (सप्लाई)" के स्थान पर शब्द "के सम्भरण" रख दिए जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में शब्द "पूर्ति करने" के स्थान पर शब्द "सम्भरण" रख दिया जायेगा।

धारा 10 का संशोधन

4- मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2) में, खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(छछ) रीति जिससे धारा 4—ख की उपधारा (2) के अधीन कोई अपील दाखिल की जायगी और उसे निस्तारित करने की प्रक्रिया।"

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1468(2)/XVII-V-1—1—(KA) 22-1999

Dated Lucknow, July 19, 1999

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 26 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature assented to by the Governor on July 18, 1999.

THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY (DUTY) (AMENDMENT) ACT, 1999

(U. P. Act No. 26 of 1999)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the U. P. Electricity (Duty) Act, 1952.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Amendment) Act, 1999.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 33 of 1952

2. In section 2 of the U. P. Electricity (Duty) Act, 1952, hereinafter referred to as the principal Act, in the Hindi version,—

(*i*) in clause (क)

(*a*) *for* the words "नियत अधिकारी" the words "नियुक्त प्राधिकारी" shall be *substituted*;

(*b*) *for* the words "की पूर्ति करने (सप्लाई)" wherever occurring the words "को सम्भरित करने" shall be *substituted*.

(*ii*) in clause (च) *for* the words "की पूर्ति करने (सप्लाई करने)" the words "के सम्भरण" shall be *substituted*.

(*iii*) in clause (ज) *for* the words "की पूर्ति (सप्लाई)" the words "के सम्भरण" shall be *substituted*.

Amendment of section 5

3. In section 5 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (क); in the Hindi version, *for* the words "पूर्ति करने" the words "सम्भरण" shall be *substituted*.

Amendment of section 10

4. In section 10 of the principal Act, in sub-section (2), *after* clause (*g*) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*gg*) the manner in which an appeal under sub-section (2) of section 4-B shall be filed and procedure for disposal thereof."

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

टी०एस०यू०पी०—ए०पी० 73 सा० विधा०—(735)—1999—850 (मेक०)।